



2026:AHC:180729

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 14022/2026

मोहम्मद हसरत तथा 4 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अभिनव मिश्रा, अनुपम त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार सिंह, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि वर्तमान आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन स्वीकार किया जाए तथा वाद संख्या 27285/2025 (राज्य बनाम वसीम व अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 से उद्भूत, बी.एन.एस. की धारा 61(2) के अंतर्गत (थाना-इस्लामनगर, जिला-बदायूं), की संपूर्ण कार्यवाही को, जो विद्वान प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं के न्यायालय में लंबित है, तथा दिनांक 01.08.2025 के आरोप-पत्र को, तथा विद्वान प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा पारित दिनांक 21.11.2025 के समन आदेश को निरस्त किया जाए तथा पूर्वोक्त वाद की आगे की कार्यवाही को स्थगित किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि सह-अभियुक्त द्वारा दायर धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 6846/2026 (वसीम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा अन्य) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 25.02.2026 के आदेश द्वारा याचिका स्वीकार किया था।

4. समन्वय पीठ द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या 6846/2026 (वसीम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) में पारित आदेश निम्नानुसार है:

“1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार सिंह, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद संख्या 27285/2025 (राज्य बनाम वसीम व अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 से उद्भूत, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत (थाना-इस्लामनगर, जिला बदायूं), की संपूर्ण कार्यवाही को, तथा दिनांक 1.8.2025 के आरोप-पत्र को, तथा विद्वान प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा पारित दिनांक 21.11.2025 के समन आदेश को खारिज किया जाए।

3. वाद का संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक के वास्तविक भाई नईम खान द्वारा दिनांक 12.3.2021 को आवेदक के पक्ष में एक मुख्तारनामा निर्वहित किया गया। मुख्तारनामे के आधार पर, आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से मोहम्मद हसरत नामक व्यक्ति के पक्ष में दुकान का विक्रय कर दिया। श्री नईम खान के पुत्र श्री मसरूर खान को अपने पिता के इस कृत्य से असंतोष हुआ, क्योंकि परिवादी अपने पिता के साथ-साथ आवेदक से भी क्रोधित था, और उसने दिनांक 15.4.2025 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, बदायूं के समक्ष धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन विद्वान सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसौली, बदायूं द्वारा निरस्त कर दिया गया था और इस तथ्य को छिपाते हुए कि धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. का आवेदन निरस्त किया जा चुका है, दिनांक 15.4.2025 को यहां आवेदक के विरुद्ध वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, जिसमें विवेचना संचालित करने के पश्चात आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संज्ञान आदेश पारित किया गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के माध्यम से आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार उसी वाद-कारण के लिए, विपक्षी संख्या 2 के कहने पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. का आवेदन इस प्रेक्षण के साथ पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका था कि मामला विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है, विपक्षी संख्या 2 ने इस तथ्य को छिपाते हुए वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई जो विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है और इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही खारिज एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मिश्रा तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने, यद्यपि वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का घोर विरोध किया, तथापि पूर्वोक्त तर्कों का विवाद नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए प्रतिद्वंदी प्रस्तुतीकरणों को सुनने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि एक बार जब विपक्षी संख्या 2 द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत विशिष्ट आवेदन प्रस्तुत करने के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराने का उपचार चुना गया था और उसे इस विशिष्ट निष्कर्ष के साथ स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया गया कि मामला एक सिविल विवाद से संबंधित है, तो यह विपक्षी संख्या 2 ही है जिसने दिनांक 15.4.2025 के आदेश के रूप में इस तथ्य को पुलिस प्राधिकारी के समक्ष छिपाया और उसी अभिकथन पर, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 15.4.2025 के आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया था, आवेदक को फंसाते हुए सफलतापूर्वक एफ.आई.आर. दर्ज करा दी।

7. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव मिश्रा ने विशिष्ट प्रश्न पर उचित रूप से यह स्वीकार किया कि विधि के अनुसार यह संभव नहीं है, क्योंकि कथित विधान के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी उपचार की मांग करने वाले प्रत्येक आवेदक को आदेश में हुई प्रत्येक तथ्य का प्रकटीकरण करते हुए साफ नीयत के साथ आना चाहिए।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क तदनुसार न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः वाद संख्या 27285/2025 (राज्य बनाम वसीम व अन्य), मुक्रदमा अपराध संख्या 147/2025 से उद्भूत, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 352, 351(3), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत (थाना-इस्लामनगर, जिला बदायूं), की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें आरोप-पत्र दिनांक 1.8.2025 तथा समन आदेश दिनांक 21.11.2025 सम्मिलित हैं, एतद्वारा केवल आवेदक के संबंध में अपास्त की जाती है।

9. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

10. तथापि, यह आदेश विपक्षी संख्या 2 के समक्ष सिविल विधि के अंतर्गत उपलब्ध विशिष्ट उपचार अपनाने में कोई बाधा नहीं होगा।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. तदनुसार, न्याय के हित में, आवेदकगण द्वारा दायर धारा 528 बी.एन.एस.एस. का आवेदन पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

शिवानी श्री

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।